न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2017	15.09.2018	28.12.2018

अनवान

रतनी पिता लेरूनाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

अपीलांट

बनाम

1. शंभुनाथ पिता लेरूनाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
2. रोशन पिता रतन नाथ जाति नाथ आयु नाबिलिग जरिये माता हीरी बेवा रतननाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
3. टीना पिता रतन नाथ जाति नाथ आयु नाबिलिग जरिये माता हीरी बेवा रतननाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
4. हीरी बेवा रतननाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
5. मांगी बेवा लेरु नाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी मरमी राशमी जिला चितौडगढ राज0
6. सरपंच ग्राम पंचायत मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री रोशन शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट।
अधिवक्ता श्री के एल अहीर — अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

–:: प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश ग्राम मरमी नामान्तरकरण संख्या 1662 ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक अपील खिलाफ रेस्पोडेंट के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण आदेश सर्वथा खिलाफ कानून होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

ग्राम मरमी पटवार क्षेत्र मरमी तहसील राशमी के खातेदार काश्तकार लेरूनाथ पिता लालनाथ की मृत्युपंरात पटवार हल्का के पटवारी जी ने नामान्तरकरण संख्या 1662 मृतक खातेदार लेरु नाथ के विधिक वारिसान की जॉच कर सजरा बनाकर भरकर पेश किया तथा यह अंकन किया गया बाद जॉच निर्णित फरमावें। जिस पर ग्राम पंचायत मरमी ने बिना कोई जॉच किये कानूनी प्रावधानों के विपरित उक्त नामान्तरकरण निर्णित फरमा दिया है जिससे विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 1662 में ग्राम पंचायत मरमी द्वारा मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मरमी द्वारा मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम पर फैसल कर दिया है। जो गलत हैं कि मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ निवासी मरमी के दो पुत्र व एक पुत्री व बेवा मांगी पुत्र रतन लाल की मृत्यु हो चुकी उसके विधिक वारिस रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 है। ग्राम पंचायत मरमी द्वारा लेरूनाथ पिता लालनाथ की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट रतनी व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम फैसल करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी द्वारा ऐसा न कर मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम नामान्तरकरण फैसल करने में भारी कानूनी भूल की जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 1662 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का परिवार का सजरा अपीलानुसार है। उक्त सजरे अनुसार लेरूनाथ पिता लालनाथ की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम पर फैसल करना चाहिए था। परन्तु ग्राम पंचायत मरमी ने मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही रेस्पोडेंट से मिला भगती कर मात्र रेस्पोडेंट के नाम फैसल कर दिया है। जिससे नामान्तरकरण संख्या 1662 निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि ग्राम पंचायत मरमी द्वारा मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ की मृत्यु उपरांत अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम पर फैसल करना चाहिए था कि कब्जा काश्त भी मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ के जीवनकाल से ही अपीलांट व रेस्पोडेंट के बराबर हिस्से से चला आ रहा है। तथा अपीलांट मृतक खातेदार की भूमि में 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। यह कि उक्त नामान्तरकरण आदेश अपीलांट की अदम मौजूदगी बिना जानकारी व बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया था। जिस कारण अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण फैसल होने की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण आदेश होने की सर्वप्रथम जानकारी अपीलंट को दिनांक 10.06.2017 के उसके खाते की जमाबंदी की नकल पटवारी जी से लेने पर हुई उसके बाद कार्यवाही कराने के लिये पटवारी जी से नामान्तरकरण की सत्यप्रति प्राप्त की जो दिनांक 10.06.2017 को प्राप्त हुई नामान्तरकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। यह कि नामान्तरकरण फैसल

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जिला चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने की दिनांक 05.11.2014 से नामान्तरकरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 10.06.2017 तक की समायावधि को मुजरा (कन्डौन) दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश ग्राम पंचायत मरमी नामान्तरकरण संख्या 1662 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ के खातेदारी दर्ज समस्त आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलांट को 1/16 हिस्से से रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/16 हिस्से तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में 1/16 हिस्से व रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष 1/16 हिस्से से बराबर हिस्से से फैसल किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

इस पर अपीलांट की अपील को को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.11.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आयें। एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई। दिनांक 25.10.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 तक की और से प्रार्थना पत्र बाबत राजीनाम तस्दीक फरमाने का पेश हुआ। एवं अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 28.12.2018 को अधिवक्ता उभय पत्र के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली किये जाने के निवेदन से बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

अपील में निर्णय का बिन्दु यह है कि वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1662 दिनांक 05.11.2014 ग्राम पंचायत मरमी द्वारा मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ का वारिसाना नामान्तरकरण विधिवत जॉच किया जाकर मृतक खातेदार के समस्त वारिसान के नाम पर निर्णित किया गया है अथवा नहीं? नहीं कि स्थिति में मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ के समस्त वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी के निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1662 निर्णय दिनांक 05.11.2014 को अपास्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण संख्या 1662 का अवलोकन किया। मनन किया। पटवार हल्का की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मृतक खातेदार लेरूनाथ पिता लालनाथ 2 पुत्र 1 पुत्री एवं पत्नि वारिसान है। जिसमें से 1 पुत्र की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.2014 को भी इस तथ्य को स्वीकार किया है एवं अपीलांट के ससुराल में रहने के कारण से अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाना साबित होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं

सहायक कलेक्टर

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी के निर्णय दिनांक 05.11.2014 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर एवं उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1662 निर्णय दिनांक 05.11.2014 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार लेहरूनाथ पिता लालनाथ निवासी मरमी का वारिसान नामान्तरकरण शंभुनाथ रतनी पिता लेहरूनाथ मांगी पत्नि स्व. लेहरूनाथ रोशन टीना पिता रतननाथ ना0बा0ब0वि0 माता हीरी हीरी पत्नि स्व. रतननाथ के नाम पर दायर किया जावें।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार राशमी को आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मरमी द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1662 निर्णय दिनांक 05.11.2014 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार लेहरूनाथ पिता लालनाथ निवासी मरमी का वारिसान नामान्तरकरण शंभुनाथ रतनी पिता लेहरूनाथ मांगी पत्नि स्व. लेहरूनाथ रोशन टीना पिता रतननाथ ना0बा0ब0वि0 माता हीरी हीरी पत्नि स्व. रतननाथ के नाम पर दायर किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार राशमी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर रहें। आदेश सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official